

29/4/18

पत्रावली के कुछ डुप्ली प्रतिलिपि को
उसके वकील को शक्यता का
कॉपी प्रकाश लगाई गई।
प्रतिलिपि को उसके वकील
उपलब्ध नहीं है। अतः प्रतिलिपि
का प्रामाण्य प्रमाण नहीं है।
अतः प्रतिलिपि में उल्लिखित विषय
संबंधी पत्रावली को प्रामाण्य प्रमाण
नहीं माना जा सकता है।
शांति